

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : प्रभा गौतम, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 173/2022 (रा.प्रा.पत्र)  
पंजीयन दिनांक 15.06.2022  
G.C.M.S. NO. :- 2022/173

श्री उदयलाल पिता कालु जाति मेघवाल उम्र 25 वर्ष निवासी धनेत तहसील भदेसर  
जिला चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

- 1-पप्पुलाल पिता घासीलाल जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी धनेत तहसील भदेसर  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
- 2-श्रीमाती संगीता पत्नी पप्पुलाल जाति भील उम्र 22 वर्ष निवासी धनेत तहसील  
भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
- 3-श्रीमान् भूमिधारी जी (तहसीलदार साहब) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन)  
नियम, 1970 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या  
कमांक/राजस्व/आवंटनआदेश/2021-22 दिनांक 25.10.2021

उपस्थिति :- 1- श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता प्रार्थी  
2- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता वि. सं.1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक 16.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) के अंतर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय भू आवंटन सलाहकार समिति श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी भदेसर द्वारा विपक्षीगण को अतिक्रमी मानते हुए मौजा धनेत के खसरा नम्बर-615 रकबा-0.43 है0 भूमि को अवैधानिक रूप से विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटन की दी है। इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर पेश है। यह कि उपरोक्त विपक्षीगण को भू आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भाविक काश्तकार नहीं है। उपरोक्त भूमि आवंटित की गई है उस पर विगत कई वर्षों से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी ही उपरोक्त



भूमि पर काश्त कर रहा है परन्तु विपक्षीगण द्वारा अनुचित प्रभाव डालकर तथा अनुचित प्रलोभन व भ्रष्टाचार के जरिये उपरोक्त आरजीयात अपने नाम आवंटित करा ली है जबकि विपक्षीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। यह कि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा रहा इसके संबंध में धारा-91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार भदेसर द्वारा की गई है जबकि विगत 3 वर्षों में विपक्षीगण का आवंटन की गई जीमन पर कब्जा रहा हो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ना ही विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया है फिर भी विपक्षीगण को अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। यह कि पटवार हल्का की रिपोर्ट अवैध व गलत है तथा राजनैतिक प्रभाव प्रलोभन से कोर्यवाही की गई है जिसकी शिकायत करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसील भदेसर में हुए सभी आवंटन की जांच हेतु कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही जारी है। यह कि भू आवंटन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई ओर सदस्य उपस्थित नहीं हुए तथा समिति की राय पूर्ण नहीं है एवं प्रधान व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है आवंटन करने से पूर्व सूची सार्वजनिक एवं पंचायत बोर्ड पर चर्चा नहीं की गई तथा मिली भगत कर अन्दर खाने से चुपके ये अवैध कार्यवाही की गई है। प्रार्थी से कोई आवेदन नहीं लिया गया एवं भूमि कीमति होने से अवैध लाभ विपक्षीगण को दिया गया। यह कि विपक्षीगण के खातों में काफी भूमि होने से विपक्षी के नेशनल शेयर से काफी भूमि आने से विपक्षी नम्बर -1 भूमिहीन की पात्रता में नहीं आता है और आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। यह कि कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन रूल्स 1970 में गलत ढंग से कराये गये आवंटन को खारिज कराने की कोई मियाद नहीं होती है। चूंकि यह एक शिकायत है और जांच का विषय होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि आवंटन आदेश दिनांक 25-10-2021 को धोके व षडयन्त्रपूर्वक किया गया एवं आवंटन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अस कारण प्रार्थी को आवंटन आदेश की जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी को अवैध आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 24.04.2022 को अखबार में सूचना प्रकाशित होने से हुई। उक्त आवंटन आदेश की नकल दरखास्त पेश करने पर दिनांक 06-05-2022 को उक्त नकले प्राप्त हुई और नकले प्राप्त होते ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवा में पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को किया गया भू आवंटन अवैध व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध दिनांक 09.02.2024 को कार्यवाही एकतरफा की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, भदेसर ने अपने पत्रांक 245 दिनांक 13.12.2024 से वांछित अभिलेख जिला कार्यालय को भिजवाया जाना बताया तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 1886 दिनांक 20.11.2025 से वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रकरण पर तहसीलदार, भदेसर से रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पर मौजा धनेत की आ.सं. 615 रकबा 0.43 है. भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भावी



काश्तकार नहीं है उपरोक्त आवंटित की गई भूमि पर विगत कई वर्षों से प्रार्थिका कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। अतः विपक्षी को किया गया आवंटन आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच पडताल के उक्त बिलानाम आराजियात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है तो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भूअभि/2026/206 दिनांक 18.02.2026 का अवलोकन किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :

**101 - कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन -**

- (1) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आवंटित की जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित करें।
- (2) इस धारा के अन्तर्गत भूमि के समस्त आवंटन ऐसी दरों पर नियत लगाम के सदस्य के अध्यक्षीन होंगे जो इस विषय पर बनाई गई किसी विधि द्वारा या रूढ़ि के अनुसार या प्रथा द्वारा नियम किये जावें।
- (3) .....
- (4) यदि एक की भूमि की एक से अधिक व्यक्ति अपेक्षा करते हों, तो आवंटन निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा -
  - (i) जोत के सहअंशधारियों को, यदि वह एक ही सद्देत खण्ड का अंग हों या एक ही स्रोत से सिंचित हो, उक्त सहअंशधारियों में अधिमान उसको दिया जायेगा जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (सन् 1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित क्षेत्र से कम भूमि हो,
  - (ii) उस गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को, जहां भूमि स्थित है उक्त व्यक्तियों में अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास कोई भूमि नहीं हो या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम हो, और
  - (iii) लॉटरी निकाल कर

बशर्ते की इस प्रकार आवंटित क्षेत्रफल आर उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल मिलकर उक्त कनयमों के विहित क्षेत्र से अधिक नहीं हो।



राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम 14 (4) में निर्देशित किया हुआ है कि “जिला कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि आवंटन हो गया हो तो इस आवंटन को रद्द करने हेतु तहसीलदार या स्वप्रेरणा से या किसी

व्यक्ति के आवंटन करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन खारिज किया जा सकता है। आवंटन खारिज करने के निम्न आधार है :

1. धोखाधड़ी करके या गलत बयानी के जरिये आवंटन हासिल किया गया हो।
2. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 के नियमों के विरुद्ध आवंटन करने पर।
3. आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर।

अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम धनेत पटवार मण्डल पोटला कलां की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. किस्म बीड 1 वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त आराजी सं 615 रकबा 10.34 है.त्र में कहीं पर भी वर्तमान में श्री पप्पुलाल व संगीता का कब्जा नहीं होना पाया गया है। उक्त आराजी मौके पर पडत मगरी है। आवंटी का आवंटित भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं है एवं ना ही आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षी को ग्राम धनेत पटवार मण्डल पोटला कलां की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. में से 0.43 है. भूमि का आवंटन किया गया। कमेटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 की पूर्ण पालना नहीं की गई एवं आवंटी मौके पर काबिज नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की काश्त की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी काश्त नहीं है, रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर अनुसार वर्तमान में भी भूमि पडत है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल काश्त नहीं कर रखी है तथा आवंटी मौके पर काबिज नहीं है न ही आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षी के खाते में दर्ज नहीं होकर सरकार के खाते में किस्म बिलानाम बीड । दर्ज रेकर्ड है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को मौजा धनेत पटवार मण्डल पोटला कलां की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. में से 0.43 हैक्टर का जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन आदेश/2021-22 दिनांक 25.10.2021 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(प्रभा गौतम)  
अतिरिक्त कलक्टर,  
(प्रशासन) चत्तौड़गढ़